## बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसचना

संख्या—5 (न0)/वि0—02/15 र्भ्यो बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा-4 के अधीन पूर्व प्रकाशित प्रारूप अधिसूचना संख्या-2724 दिनांक-13.04.2017 द्वारा घोषित संक्रमणशील क्षेत्र के लिए धारा-5 के अधीन प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त, अधिनियम की धारा-6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार सीतामढ़ी जिलान्तर्गत निम्नलिखित अनुसूची 'क' में यथावर्णित चौहददी के अन्तर्गत सुरसण्ड नगर पंचायत गठित करती है तथा इसमें पडने वाले संक्रमणशील क्षेत्र में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के सुसंगत प्रावधानों को लागू करती है:--

## अनुसूची 'क'

## 1. (क) ग्रामों के नाम एवं थाना नं0

(ক)	ग्राम का नाम		थाना सं0
	1. सुरसंड असली, जिसके अंतर्गत		47
	तीन ग्राम प		
	सुरसंड उत्त	•	
(ख)	चौहद्दी	ग्राम/धाना नम्बर	
	उत्तर	बराही पंचायत (परिहार प्रखण्ड)	129
	दक्षिण	वीररख पंचायत	31
	पूरब	श्रीखंडी भिठृठा	49
	पश्चिम	बनौली	27
इन क्षेत्रों को नगर पंचायत, सुरसंड कहा जायेगा।			

यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होगी।

नगर विकास एवं आवास विभाग

संख्या-5 (न) वि-02/2015 5459/न0वि०एवं.आ०वि०

∕ पटना, दिनांक–ෛ \ \४))﴾ प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को, बिहार गज्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि वे प्रकाशित गजट की 200 प्रतियाँ नगर विकास एवं अकिस विभाग को उपलब्ध करावेंगे।

नगर विकास एवं आवास विभाग /पटना, दिनांक-**३५४**))🗦

संख्या—5 (न) वि—02/2015 <sup>S4-S9</sup>/न0वि०एवं.आ०वि०

विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रतिलिपि:-सभी प्रमंडलीय आंयुक्त / सभी पदाधिकारी / महालेखाकार, बिहार, पटना / स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना / क्रेबागार पदाधिकारी, सीतामढी / माननीय मुख्य मंत्री के आप्त सचिव / माननीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एव आवास विभाग को

कार्यार्थ प्रेषित।

संख्या-5 (न) वि-02/2015 👫 १ / न0वि०एवं आ०वि०

नगर विकास एवं आवास विभाग /पटना, भ्रिम्रांक-21/3/1<del>/)</del>

प्रतिलिपि:-सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, सोन भवन, पटना को सूचनार्थ/एर आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

नगर विकास एवं आवास विभाग

## बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना				
संख्या—5 (न0)/वि0—02/15 अधिसूचना संख्या—567 दिनांक—27.01.2017 / का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा ज्यागा। बिहार राज्यपास के आदेश से,				
(चैतन्य प्रसाद) 201 T				
प्रधान सचिव				
नगर विकास एवं आवास विभाग				
Government of Bihar				
No-5 (N)VI-02/15 // After due consideration on objection received under section-5 for transitional areas declared through previously published draft Notification No-2724 dated-13.4.2017 under section-4 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11 of 2007) the State Government in exercise of the powers conferred under section-6 of the Act constitute Sursand Nagar Panchayat within the boundary as described in the following schedule-'A' in the district-Sitamadhi and enforce the relevant provisions of The Bihar Municipal Act, 2007 in the transitional areas falling in it:-  Schedule-A				
1 (a) Name of villages and Thana Nos				
Name of Village  1. Sursand Asli, within which there are three Gram Panchayat-Sursand West,  Sursand North and Sursand East				
(b) Boundary:- North- Barahi Panchayat (Parihar Block) South- Veerrakh Panchayat East- Srikhandi Bhittha West- Banaouli These areas will be called the Nagar Panchayat, Sursand				
2. This notification shall come to force at once.  By the order of the Governor of Bihar  (Chaitanya Prasad)  Principal Secretary				
Memo No- No-5 (N) Vivdh-02/2015 SAGO Urban Development and Housing Department UD&HD Dated:- Copy to the Superintendent, Secretariat Printing Press, Gulzarbagh, Patna for its publication in an extra ordinary issue of the Bihar Gazette.  2. He is requested to make available 200 copies of the Gazette to Urban Development and Housing Department.  Principal Secretary				
Memo No- No-5 (N) Vivdh-02/2015 SAGO UD&HD Dated:- 21 (1) Department UD&HD Dated:- 21 (1) Department Magistrates/Accountant General Bihar, Patna/Auditor of Local Accounts Bihar, Patna/ Treasury Officer Sitamadhi/ Private Secretary to the honorable Chief Minister/ Private Secretary to the honorable Minister Urban Development and Housing Department/ Principal Private Secretary to the Principal Secretary, Urban Development and Housing Department for information and necessary action.				

Memo No- No-5 (N) Vivdh-02/2015 SAGO Urban Development and Housing Department

UD&HD Dated:- 21/8/12

Copy to Secretary, State Election Commission Bihar, Son Bhawan, Papa for information and necessary action.

Principal Secretary / Luly
Urban Development and Housing Department